

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण:-

- अभिलेखों का निरीक्षण।
- दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था।
- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में दिये गये प्रावधान अनुसार कोई भी नागरिक सूचना प्राप्त करने हेतु निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- वार्षिक रिपोर्ट।